संख्या– 496 /2022/आई/217683/001-41-64-Budget-2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यअन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-4099/6-1-1098(2)/यो0/2019, दिनांक 07.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, िजसके मायम से विधायी अनूभाग/1 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-807/79-वि-1-21-1-क-24-21, निदांक 24.08.2021 तथा पर्यट अनुभाग के पत्र संख्या-2538/41-2021-02(गठन)/2020 दिनांक 12.10.2021 द्वारा उ0प्र0 विन्ध्यधाम तीर्थ विकास परिषद का गठन के सन्दर्भ में अवगत कराते हुए बजट में प्रावधिानित धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत मद संख्या 17–उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद,मिर्जापुर मद में विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित को निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

मद संख्या	प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	**2**	**3**
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 150.00	रू0 37.50
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 200.00	रू0 100.00

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृति धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करनेका प्राध्सिाकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन केा उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रणकेसम्बन्धमें शासनादेश सं0-बी-11195/दस-16/94, दिनाक 06 जून, 1994 द्वारा निर्मत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वर्षों में कराये गये कार्यों का कार्यवार विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त होने की पुष्टि कर ली जायेगी एंव तदुपरान्त भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए संगत वित्तीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में क्रमवार अवशेष भुगतान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन मदों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य योजना बजट की उपलब्धता के अनुसार ही तैयार किया जायेगा और यदि अपरिहार्य स्थितियों में बजट की सीमा से अधिक व्यय का अनुमान हो तो संगत नियमोंके अन्तदर्गत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलबध कराते हुए अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्ययमें मितव्ययिताके सम्बप्न्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करनेमेंउ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-1 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्षकी अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(7) विर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एंव आन्तरिक लेखा परिक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (*1*) रूपये 37,50,000 (रूपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक 3453808001700 उत्तर प्रदेश विन्ध्यधाम तीव्र विकास परिषद, मिर्जापुर मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रूपये 1,00,00,000 (रूपये एक करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3453808001700 उत्तर प्रदेश विन्ध्यधाम तीव्र विकास परिषद, मिर्जापुर मानक मद 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक: 07 जून, 2022 में प्राशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या– 496/2022/आई/217683/001-41-64- Budget-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, मीरजापुर।
5. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मीरजापुर।
7. निदेशक,पर्यटन मुख्यालय, लखनऊ।
8. उपनिदेशक, पर्यटन, वाराणसी।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
12. गार्ड- फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।